फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : चम्पालाल बनाम प्रतिवादी : नर्बदा

किस्म मुकदमा : वाद

प्रकरण संख्या : 324 / 19

दिनांक 21.10.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्रावली तलब एवं प्रार्थना पत्र बाबत् वाद विड्रो प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त प्रकरण में दोनों पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। जिससे उक्त प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। जिससे वादी का वाद विड्रो किया जावे।

पत्रावली सिगबह से तलब की गई। वादी एवं वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवम् प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उभयपक्ष के मध्य सहमति से राजीनामा हो जाने से वादी द्वारा उक्त वाद को विड्रो किए जाने हेतु निवेदन किया गया। वादी द्वारा वादग्रस्त वाद को विड्रो किए जाने से उक्त वाद में आगें अब कोई कार्यवाही शेष नही रहती है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व ग्राम सवीना तहसील गिर्वा के वादग्रस्त आराजीयात 558, 559, 560, 561, 562, 4258 / 557 किता 6 कुल रकबा 0.3844 हैक्टयर में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर वादी का वाद विड्रो किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रिया डाबी, आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा–उदयपुर